इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2016—आश्विन 25, शक 1938

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

एम.डी. (होम.)

होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम–2016

क्र. एफ-1-21-2016-1-उनसठ.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम. डी. (होम.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1— संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

1— इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम–2016," है ।

2— ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2— परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल **व म.प्र. में स्थित भारत शासन आयुष मंत्रालय या अधिकृत एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय,**

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा,

(ग) "सेवारत अभ्यर्थी " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के ऐसे होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षक एवं होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन नियमित या संविदा के आधार पर सेवा कर रहे हों,

(घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग

(च) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगर निगम क्षेत्र तथा नगर–पालिका परिषद क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां,

(झ) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है,

(त्र) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार,

(ट) "जनजाति क्षेत्र" से अभिप्रेत है जनजाति उपयोजना के अधीन क्षेत्र,

(ठ) "सी.सी.एच.." से अभिप्रेत है सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होमयोपैथी नई दिल्ली।

3 – सामान्य –

1 –स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, यथास्थिति सी.सी.एच./विश्वविद्यालय/राज्य सरकार /भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा समय–समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे।

2 – प्रवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होंगे। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3 – जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवेदन फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

4 – यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के स्थान (सीट) आवंटन के समय दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय आवेदन प्रारूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाए गये हैं और/या गलत जानकारी दी गई है तो **बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए** उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जावेगा **व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी**

5 – सेवारत अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुसंशित किये गये हों, परीक्षा तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये कर्तव्य पर माने जायेंगे तथा पैतृक विभाग से नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा महँगाई भत्ते का दावा करने के हकदार होंगे।

6–प्रत्येक अभ्यर्थी को एम.पी. ऑनलाईन के प्रवेश नियमों का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई परीक्षा फीस जमा करनी होगी।

4 –(1) छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत उम्मीद्वार भी सम्मिलितहै) –

(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),

(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

(ग) प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

(2) छात्रवृत्ति (शासन की स्वीकृति के अध्यधीन) के बिना प्रतिवर्ष 10 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण–पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

5 – दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।

6 – परीक्षा, एम.पी. ऑनलाईन द्वारा नियत किए गए केन्द्र पर होगी। एक बार आवंटित हो जाने पर केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी, एम.पी. ऑनलाईन के नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा, जिसका पालन न करने पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।

7 – केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सी.सी.एच.) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सीट पर पाठ्यक्रमवार शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल एवं निजी महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा। परीक्षा/कॉउंसलिंग के समय जिस संस्था को भारत शासन, आयुष मंत्रालय की प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उनमें प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाईन कॉउंसलिंग के माध्यम से की जावेगी।

8– **सेवारत अभ्यर्थी (म.प्र. शासन के अंतर्गत सेवारत्** होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षक एंव होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी **तथा समकक्ष पदाधिकारी)**

8.1 केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल 2016 को होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में, **जिन्होंनें** मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत नियमित अथवा संविदा सेवा में **न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और** कार्यरत रहकर ग्रामीण क्षेत्र में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।**(शिक्षकों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में तीन वर्ष की सेवा की पूर्ण करने की शर्त लागू नही होंगी।)**

8.2 राज्य शासन के आयुष विभाग द्वारा **स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु चयनित पदाधिकारियों को म.प्र. शासन/स्वशासी /संविदा सेवा नियम द्वारा पात्रतानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।** सेवारत् अभ्यर्थियों को यह स्पान्सरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं किसी अन्य लाभ के लिये देय नहीं होगी, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस अपने स्त्रातों से जमा करना अनिवार्य होगा।

8.3 03 वर्ष की अर्हताकारी सेवा हेतु कालावधि की गणना उस स्थिति में नहीं की जावे, जब अभ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है/कोई डाईजनॉन अवधि हुई/कोई अवैतनिक छुट्टी पर रहा है।

8.4 सेवारत पुरूष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु–सीमा प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल–2016 को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु–सीमा 50 वर्ष होगी।

9 – आरक्षण –

9.1 म.प्र. के शासकीय सेवारत होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षकों एंव होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों, के लिये 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी।

9.2 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमिलेयर से भिन्न हैं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय–समय पर यथा संशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे।

(1) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) – सह – विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का है, आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी तथा मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र परामर्श (काउंसिलिंग) के समय प्रस्तुत करना होगा।

(3) ऐसे विकलांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए छह प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित है। पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे।

उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

"इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण पत्र, दोनों ही अनिवार्यतः, प्रस्तुत करने होंगे। विषयवार सीटों की जानकारी यथासमय प्रदर्शित की जावेगी। काउंसिलिंग के समय दोनों प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। विकलांगता के संबंध में बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को विकलांग श्रेणी में पात्रता नहीं होगी।"

(1) हाथ/हाथों से विकलांग
(2) दृष्टि से विकलांग

(3) बहरापन

(4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

9.3 **आरक्षित संवर्ग की सीट का परिवर्तन –**

यदि आरक्षण के अनुसारं पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी–

(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।

(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।

(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गो के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।

(घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित प्रवर्गो के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जायेगी।

नोट – **यह व्यवस्था सम्बन्धित संवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्यता सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउसिंलिंग में की जायेगी।**

(च) योग्य सेवारत अभ्यर्थी न मिलने पर गैर सेवारत अभ्यर्थियों से सीटों की पूर्ति की जावेगी।

9.4 यदि किसी प्रवर्ग में विकलांग (एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग में उपलब्ध करा दी जायेंगी । यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गो को उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 9.2 में है।

10 – **फीस संरचना –**

प्रत्येक अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित (शासकीय स्वशासी संस्था हेतु) तथा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा निर्धारित (निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु) शुल्क देय होगा।

11 – **फीस वापसी –**

पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी। उक्त समय – सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापिसी योग्य नहीं होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

12 – **प्रतिभूति निक्षेप –**

(1) परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान शासकीय महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के लिए स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रूपये 10,000/– प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संचालक, आयुष, मध्यप्रदेश भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप नहीं करेंगे। अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता–पिता /संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रूपये 2,000/– प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे ।

(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहृत हो जाएगा।

13– पात्रता –

1 "शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये। निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के व्यक्ति प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।"

1.1 अभ्यर्थी द्वारा बी.एच.एम.एस. या ग्रेडड बी.एच.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के होम्योपैथी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण एवं द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होना चाहिये।

1.2 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परंतु उन्होंने बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर से जो कि सी.सी.एच. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो, से उत्तीर्ण की हो।

2 सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में प्रेक्टिस करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये ।

2.1 पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.2 पात्र अभ्यर्थी ने सी.सी.एच. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विज्ञापन में अंकित आवेदन की अंतिम तिथि तक या भारत सरकार आयुष विभाग द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि तक अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो।

14 – परीक्षा

(1) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु, एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी।

(2) किसी भी अभ्यर्थी का चयन पूर्णतः लिखित होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की 100 अंकों की एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी।

(3) एम.डी. (होम.) की प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

(4) एक प्रश्नपत्र दो घंटे का होगा। प्रश्नपत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

(5) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नो के लिए एक अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिये दिया जावेगा। गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं दिया जायेगा।

(6) परीक्षा बी.एच.एम.एस. परीक्षा के स्तर की होगी तथा पाठ्यक्रम के सभी विषयों को सम्मिलित किया जाएगा।

(7) प्रवेश की योग्यता हेतु होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर निर्धारित होगी। प्रवेशित विषय का परिवर्तन प्रवेश तिथि से दो माह तक इस शर्त पर स्वीकार्य होगा कि वांछित विषय में सीट एवं मार्गदर्शक (गाईड) की उपलब्धता हो।

(8) सेवारत अभ्यार्थी भी एम.डी. (होम.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2016 के आधार पर चयनित किये जायेंगे। सेवारत अभ्यर्थियों की एक पृथक मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

15– परीक्षाफल की घोषणा –

एम.पी. ऑनलाईन, परीक्षा संचालित करेगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेगा, प्रावीण्य सूची तैयार करेगा तथा परीक्षाफल घोषित करेगा। विषय/पाठ्यक्रम/महाविद्यालय में पात्र अभ्यर्थी को स्थान का आवंटन ऑनलाईन काउंसिलिंग के आधार पर किया जाएगा।

16 – प्रावीण्य सूची –

(1) अनारक्षित श्रेणी की एक योग्यता (मेरिट) सूची होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर तैयार की जावेगी।

(2) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सभी अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक योग्यता (मेरिट) सूची होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर तैयार की जावेगी।

(3) सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूचियों में विकलांग अभ्यर्थी अपनी मेरिट के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे।

(4) विकलांग अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट सूचियॉं भी तैयार की जाएगी।

17 पारस्परिक योग्यता (मेरिट) –

उस दशा में जब दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को पारस्परिक योग्यता (मेरिट) में उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

18 – कांउसिलिंग – सीट आवंटन

18.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रकिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। आनलाईन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे।

18.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक सा लिखा होना चाहिये। यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरूस्त करालें अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

18.3 रजिस्ट्रेशन – रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दी जावेगी। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/– (एक सौ पचास रूपये मात्र) देय होगा। जिसकी रसीद दी जावेगी। (रजिस्ट्रेशन KIOSK के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक से देय नहीं होगा।) आवेदक को अपनी जानकारी सही–सही दर्ज करानी होगी। **व्यक्तिगत एवं विशेष रूप से जाति संबंधी जानकारी भरते समय सही जानकारी ही दर्ज हो।** रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजि0 नं0 एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा।

18.4 अभिलेख सत्यापन– आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु शासकीय (स्वशासी)होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल संस्था (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप–1 पर) कराना होगा–

1 – **शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय आयुष परिसर एम.ए.सी.टी.हिल कलियासोत डेम के पास भोपाल (462003)**

18.5 रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो तो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है।

18.6 अभिलेख सत्यापन – अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा। सत्यापन निःशुल्क होगा।

18.7 संस्था का चयन – आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का कमानुसार चयन का विकल्प एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा। जिसका निर्धारित शुल्क 250/– रूपये (दो सौ पचास रूपये मात्र) एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा) । इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी। प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100/– रूपये शुल्क देना होगा।

18.8– अलाटमेंट – आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर प्री – पी.जी. परीक्षा का रोल नं0, जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है।

18.9– रिपोर्टिंग – आवेदक को महाविद्यालय का आवंटन होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना रोल नं0 एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा।

19 – प्रवेश

अभ्यर्थी ऑनलाईन कांउसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

19.1– महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा पात्र पाये जाने पर उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी ।

19.2– पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे ।

19.3– यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन / प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा ।

19.4– अभ्यर्थियों को अपनी **जिला** चिकित्सकीय **बोर्ड से** जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे।

19.5– सीट लीविंग बॉण्ड – प्रत्येक उम्मीदवार जिनका प्रवेश शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय में हुआ है, को प्रवेश के समय रू. 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) का बॉण्ड (प्रारूप अनुसार) भरना होगा। अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी – भी प्रवेश निरस्त कराने पर बॉण्ड की राशि राजसात कर ली जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

20 – अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की अंतिम तिथि–**केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् नई दिल्ली/भारत शासन आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार होगी।**

20.1 प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम –

1 – प्रथम काउंसलिंग की तिथि – परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तिथि घोंषित की जायेगी

2 – सत्रारंभ तिथि – बाद में घोषित की जायेगी– **केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् नई दिल्ली/ भारत शासन आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार होगी।**

3 – द्वितीय/तृतीय कांउसिलिंग – सीट रिक्त रहने की स्थिति में घोषित की जायेगी

4 – किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि – **केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् नई दिल्ली/ भारत शासन आयुष मंत्रालयं के निर्देशानुसार होगी।**

टिप्पणी –

1 – नियम 12 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार आनलाईन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम **राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों** में विज्ञापित किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी **इन**

प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा, साथ ही संचालनालय आयुष म.प्र. की बेबसाईट **www.mp.gov.in/Ayush** पर भी सूचित किया जावेगा।

2 – यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं/अथवा यदि उसे कोई भी होम्योपैथी शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।

20.2 प्रदेश के शासकीय होम्योपैथी महाविधालय या निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालयों में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को मान्यता/प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो उनमें काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा।

21 – **नियमों का स्पष्टीकरण** –

किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।

22– **निरसन तथा व्यावृत्ति :–**

इन नियमों के प्रचलित होने के पूर्व तत्स्थानी समस्त नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं। परंतु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिखा दुबे, प्रमुख सचिव.

AYUSH DEPARTMENT MADHYA PRADESH

GOVERNMENT HOMOEOPATHIC COLLEGE,BHOPAL

Distribution of Seats for PG Course M.D.(Hom)

Sno.	Subject	25% in Service Quata Reservation roaster for P.G. Homoeopathic (M.D.Hom) admission 2016-17 for Govt. employees.													75% OPEN																
		UR			ST			SC			OBC			TOTAL	UR				ST				SC				OBC				Grand Total
		OP	F	H	OP	F	H	OP	F	H	OP	F	H		OP	F	H	Total	OP	F	H	Total	OP	F	H	Total	OP	F	H	Total	
1	Homoeopathic Pharmacy	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	9
2	Homoeopathic Philosophy & Organon of Medicine	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	3	1	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	1	9
3	Materia Medica	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	1	0	4	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	9
4	Pediatrics	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	Practice of Medicine	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	4	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	9
6	Psychiatry	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6
7	Repertory and Case Taking	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	4	1	0	1	2	1	0	0	1	0	1	0	1	9
	total	5	1	1	1	1	0	1	1	0	2	0	0	13	14	6	1	21	5	2	1	8	4	2	1	7	4	2	0	6	55

प्रारूप – 1

नियम–18.4

प्रमाण पत्र, अभिलेखों की स्कुटनी कॉउसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र

(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैनें मध्यप्रदेश **एम.डी. (होम.)** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा भलीभांति पढकर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउसिलिंग, में भाग ले रहा/रही हूं ।

कॉउसिलिंग, में भाग लेने के लिए आज दिनांक .... को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ । यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए–

1. प्रवेश परीक्षा 2016 का रोल नं. :..
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची कमांक : ....
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक :..
4. पूरा नाम :..
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम :..

   पता :..

   टेली./ मो. नं. :..

6.1 श्रेणी(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) :......................................

6.2 संवर्ग (सैनिक/स्वतंत्रता सैनानी/विकलांग/महिला/ओपन) : ....

7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे है, उनके सामने सही (√) का चिन्ह लगायें।

   1. ☐ प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची ।
   2. ☐ स्नातक परीक्षा की मूल अंकसूची । (समस्त)
   3. ☐ इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
   4. ☐ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
   5. ☐ आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र ।

Book No.	Disp. No.	Date	Place	Issuing Authority

   6. ☐ जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची । DD MM YYYY

7. ☐ चरित्र प्रमाणपत्र ।

8. ☐ मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।

No.	Dt. of issue	Place	Issuing Authority

9. ☐ अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.

10. ☐ वर्तमान आय प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में। ( )

11. ☐ संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित। (यदि लागू हो तो)

पूरा नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक

स्कूटनी (सूक्ष्म जॉच समिति द्वारा भरा जावे)

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों (1–11) की जांच की गई। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं। प्रमाण–पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है।

सदस्य स्कूटनी समिति

(नाम पदनाम हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों .... से कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।

अध्यक्ष, स्कूटनी समिति

(हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम.)

प्रारूप—1—अ

वचन पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री...उम्र.............निवासी........................... आज दिनांक.......................को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्व रहूँगा/रहूँगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूगॉ/करूंगी।

1. **गवाह के हस्ताक्षर**

दिनांक.........................

नाम...

पूरा पता..

2. **गवाह के हस्ताक्षर**

दिनांक.........................

नाम...

पूरा पता..

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक....................................

नाम..

पूरा पता.................................

टेलिफोन./मोबाईल नं.........

प्रारूप—1—ब

वचन पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री...उम्र.............निवासी........................... आज दिनांक.......................को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा एम.डी. (होम.) होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आनलाईन प्रवेश परीक्षा/काउंसिलिंग में भरी गई समस्त प्रविष्टयां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और उनकों मेरे द्वारा देख एवं समझ लिया गया है। इनके बावजूद यदि कोई त्रुटि रहती है तो इसकी जबावदारी मेरी स्वयं होगी।

उपरोक्त प्रवेश हेतु पंजीयन/काउंसिलिंग में या प्रवेश उपरांत यह पाया जाता है कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी गई है तो तत्काल प्रभाव से मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

1. **गवाह के हस्ताक्षर**

दिनांक.........................

नाम...

पूरा पता..

2. **गवाह के हस्ताक्षर**

दिनांक.........................

नाम...

पूरा पता..

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक....................................

नाम..

पूरा पता.................................

टेलिफोन./मोबाईल नं.........

प्रवेशार्थी की नवीनतम फोटो

गैर सेवारत अभ्यार्थियोंसीट लीविंग बॉड

(रूपये 250/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे।)

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप

1 — मै., ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ....मध्यप्रदेश के .... शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2 — मैने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा नियम 2016 को भलीभांति पढ़ लिया है।

3 — मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।

4 — मै एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :—

(1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय—समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।

(2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसलिंग 2016 में **एम.डी. (होम.)** पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रू. **10.00 लाख (कुल दस लाख)** संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षो) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) एवं निजी होम्योपैथी महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में **परीक्षण/सत्यापन** होने तक जमा रहेंगे।

(4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य की अनुशंसा पर राज्य होम्योपैथी परिषद मध्यप्रदेश भोपाल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :— 1 ....

2 ....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा जमा की जावेगी, राशि जमा न किए जाने कि स्थिति में राशि की वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :— 1 ....

2 ....

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.